न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 260/2016/223 आर टी ए

राकेश कुमार पुत्र मानसिंह जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा।

––अपीलांट

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र केहरसिंह जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा।

––असल रेस्पो0

3. जयपाल पुत्र केहरसिंह जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा।
4. हवासिंह पुत्र केहरसिंह जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा।
5. पुष्पादेवी पत्नि मानसिंह जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा।
6. अमीत कुमार पुत्र मानसिंह जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा।

––तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 20.03.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा प्रकरण सं. 118/2013 अनवानी रामचन्द्र बनाम जयपाल आदि

उपस्थित :–

श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता अपीलांट
श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1
श्री लाकेश कुमार शर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 4
श्री नरेन्द्रकिशोर शर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3, 5, 6
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2

निर्णय दिनांकः–15.02.2018

1. प्रकरण के सारगर्भित तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 आरटीए पेश किया, जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.14 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार भादरा को मौका कमिश्नर नियुक्त विभाजन प्रस्ताव भिजवाये जाने हेतु आदेश पारित किया, विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार कर भिजवाया गया जबकि तहसीलदार को मौका कमिश्नर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव हेतु आदेश दिया गया था अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दावा अन्तिम डिक्री जारी करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध पारित की गई है। विचारण न्यायालय ने

अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते समय राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधान की कोई पालना नही की है तथा प्रत्येक काश्तकार को समान रूप से भूमि दी जानी चाहिए थी एवं प्रत्येक पक्षकार मे अच्छी मे से अच्छी व माडी मे से माडी भूमि का बंटवारा किया जाना चाहिए था। मौका कमिश्नर द्वारा सही तौर से मौका नही देखा गया तथा ना ही पक्षकारो को विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय कोई सूचना दी गई। रेस्पो0 सं. 1 के खेत मे रास्ता की भूमि मात्र कि.न. 10 मे से कम की है यानि रास्ता दर्ज किया है परन्तु अन्य काश्तकार के खेत मे तरतीबी रेस्पो0 सं. 3 के खेत मे कि.न. 4, 5, 1 व 10 मे रास्ता दिया है जबकि हवासिंह के खेत मे मात्र 1 किला यानि कि.न. 10 मे रास्ता दिया है। कि.न. 4, 5, 1 मे रास्ता दिया जाकर कि.न. 10, 11, 20 मे रास्ता दिया है। मुख्य सड़क से वादग्रस्त भूमि मे जाने के लिए सीधा रास्ता मु.न. 17 के कि.न. 4, 5 मु.न. 16 के कि.न. 10, 11, 20 मे रास्ता दिया जाना चाहिए था क्योंकि उक्त रास्ता कुत्तर पाड़ यानि टेडा मेडा दिया है।

4. किला नम्बर 4, 5, 1 की भूमि मुख्य सड़क से सीध मे है तथा मु.न. 17 के कि. न. 4 व 5 मुख्य सड़क से लगते है उक्त भूमि जयपाल अकेले को दे दी है जबकि उक्त रोड़ दडोली को जाती है तथा मुख्य मार्ग पर भूमि की कीमत अधिक होने से जयपाल को फायदा हुआ है। वाद भूमि का क्षेत्रफल कम ज्यादा दर्ज किया गया है। जयपाल को 0.729 है0, हवासिंह को 0.689 है0, रामचन्द्र को 0.714 है0 व अपीलांट को 0.689 है0 भूमि बंटवारा दी गई है। विचारण न्यायालय ने उक्त विभाजन प्रस्ताव जो कि एक पक्षीय व बिना किसी सूचना के कम व ज्यादा भूमि का तैयार किया गया, पर कतई विश्लेषण व विवेचन के बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो अपास्त योग्य है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2015 (2) पेज 991 के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 54 व 188 विभाजनार्थ वाद कुर्रा रिपोर्ट (प्रस्ताव रिपोर्ट) तहसीलदार द्वारा तैयार की जानी चाहिए तथा तहसीलदार को मौके पर जाना चाहिये। विचारण न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव पर कोई नोटिस जारी नही किया है तथा ना ही विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार ने मौके पर जाकर तैयार किया। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आरएलडब्ल्यू 2015(2) पेज 991, आरआरटी 2016–17 पेज 711, आरआरटी 2017 (1) पेज 689,

सीसीसी 2011 (2) पेज 13, सीसीसी 2010 (3) पेज 374, आरबीजे 1998 पेज 762 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध मे खाता तकसीम हेतु वाद प्रस्तुत किया गया जिसमे प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा मय कांउटर क्लेम प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद मे प्राथमिक डिक्री पारित करते हुए तहसीलदार को वादग्रस्त भूमि पर मुताबिक कब्जा काश्त विभाजन प्रस्ताव आदेश दिया गया। तहसीलदार भादरा द्वारा मौका कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत होने पर विभाजन प्रस्ताव पर कोई एतराज नही होने के कारण दावा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया गया है जो सही एवं विधिसम्मत है। अपीलांट द्वारा अपील मे उठाये बिन्दू निराधार होने के कारण अस्वीकार है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

6. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व विचारण न्यायालय ने दोनो पक्षों को विधिवत सुनवाई हेतु न तो कोई नोटिस जारी किया है तथा ना ही विभाजन प्रस्ताव बाबत पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया है एवं अपीलाधीन प्रकरण मे बिना प्रभावित पक्षकारो को सुने पक्षकारो को कम व ज्यादा भूमि देते हुये विभाजन का दावा डिक्री किया गया है। इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित करते समय राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नही हो पाई है। जबकि विभाजन के वाद मे

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए समस्त सहखातेदारान की उपस्थिति मे समस्त सहखातेदारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विभाजन की डिक्री पारित किये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 20.03.2015 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण मे राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 मे विहित प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करते हुए विभाजन हेतु अन्तिम डिक्री पारित करें। विभाजन प्रस्ताव हेतु मौका निरीक्षण की तिथि के संबंध मे तहसीलदार उभय पक्ष को विधिवत रूप से सूचित कर उभय पक्ष की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण कर नियम 18 ता 21 के प्रावधानो के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहखातेदारान की आपत्तियों/आक्षेपों पर सुनवाई कर नियमानुसार निस्तारण करते हुये विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.03.2018 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ